अन्तर्गत न्यायालय जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर

अनुसूची-14-फारम संख्या- 562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख .... से .... तक

जिला - समस्तीपुर वाद सं0- 166, सन् 2019

केश का प्रकार : लोकसभा आम चुनाव, 2019 के अवसर पर दं.प्र.सं. की धारा-144 लगाने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3
10.03.2019	**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर।** **आदेश** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 की घोषणा दिनांक 10.03. 2019 को की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा उत्पन्न किया जाता है। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा आपसी विद्वेष की संभावना है। साथ-ही-साथ यह भी संभव है कि मतदान के दौरान अस्त्र-शस्त्र का भय दिखाकर एवं नजायज मजमा बनाकर हरवे-हथियार से लैश होकर मतदाताओं को भयभीत कर गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वातावरण को अशांत, भयक्रांत करने एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। अत: उपर्युक्त कारणों से मैं संतुष्ट हूँ कि सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला में लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गया है, ताकि निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें। अत: मैं चन्द्र शेखर सिंह, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर संतुष्ट होकर दिनांक 08.05.2019 तक (अधिकतम 60 दिनों की होगी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ। 1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति के साथ जमा होकर जुलूस, सभा बैठक एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे। 2. किसी भी तरह अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ांसा, चाकू, छूरी, बरछी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक/ अग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित नहीं करेंगे। 3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का पूर्णरुपेण अनुपालन करेंगे। **अपवाद-** 1. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3

अग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग, उपर्युक्त निषेद्याज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

2. सिख धर्मावलम्बियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेद्याज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

3. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक (शादी विवाह इत्यादि) एवं सांस्कृतिक जुलूस/ सभा इस निषेद्याज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

4. यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हेतु सूचित कर दिया जाय एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपका दिया जाय। इस आदेश का तामिला सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजी जाय एवं इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.दं.वि.की धारा-188 एवं दं.प्र.सं. की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायगी।

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं ड्रम पीटकर विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रचारित कर किया जाय।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ आज दिनांक 10.03.2019 को जारी किया गया।

इस आदेश की एक प्रति जिला दंडाधिकारी के इजलास बोर्ड पर चिपका दें।

लेखापित एवं संशोधित
ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
समस्तीपुर ।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
समस्तीपुर ।

ज्ञापांक : 982 **/विधि, समस्तीपुर, दिनांक : 10वीं मार्च, 2019**

प्रतिलिपि : वायरलेस ऑपरेटर, समस्तीपुर को संवाद संप्रेषण हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला/ पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त आशय की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित अंचल अधिकारियों/ प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ थानाध्यक्षों को देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2019

जिला दंडाधिकारी,
समस्तीपुर ।